

Roll No.....
2200 -/20/30/60

LM-103

October-November 2010
LL.B. (Hons.) (First Year) Second Semester Examination
LAW OF CRIMES
Paper-III

Time: 3 Hours]

[Max. Marks:100

नोट: किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के उत्तर समान हैं। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिये 60 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति है।

Note : Answer any five questions. All questions carry equal marks .The blind candidates will be given 60 minutes extra time.

1. अपराध भावना क्या है ? इसके आवश्यक तत्व बताइये । भारतीय दण्ड संहिता में यह कहां तक लागू है ?
What in Mensrea? Discuss its essential elements. To what extent it is applicable to the Indian Penal Code.
2. भारतीय दण्ड संहिता में विधि की भूल कोई बचाव नहीं है जबकि तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है । विवेचना कीजिए।
Mistake of Law is no defence in Indian Penal Code while "Mistake of fact is good defence. Discuss.
3. विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दीजिए। कौन विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जा सकता है ? यह कब बलवा बन जाता है ?
Define "Unlawful Assembly"? Who is said to be the member of an unlawful assembly? When does it amount to riot?
4. " तैयारी और प्रयास " में क्या अन्तर है ? क्या भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध करने की तैयारी दण्डनीय है ? पूरी तरह से समझाइये।
Distinguish between 'Preparation and Attempt' ? Is preparation to commit an offence punishable under Indian Penal Code? Explain fully.
5. निम्न में से किन्हीं दो के मध्य अन्तर बताइये—
(अ) सदोष लाम सदोष हानि (ब) हमला एवं दंगा (स) लूट एवं डकैती।
Distinguish any two of the following –
(a) Wrongful gain and wrongful loss (b) Assault and Affray (c) Robbery and Dacoity.
6. वे कौनसे अपवाद है, जब "आपराधिक मानव वध" हत्या नहीं होती है ? विवेचना कीजिए।
What are those exceptions when "Culpable Homicide" does not amount to murder? Discuss .
7. साधारण चोट एवं गंभीर चोट को परिभाषित कीजिए । साधारण चोट एवं गंभीर चोट में क्या अंतर है ? समझाइये।
Define Hurt and Grievous Hurt. What is the difference between hurt and grievous hurt? Explain.
8. आपराधिक आशय को नकारने वाले निम्नांकित कारको को समझाइये :
(अ) अवयस्कता/अप्राप्तवयता (धारा 82, 83) (ब) पागलपन (विकृत चित्तता) (धारा 84)
(स) मत्तता (धारा 85, 86) ।
Explain the following factors which negative guilty intention:
(a) Minority (section 82, 83) (b) Insanity (section 84)
(c) Intoxication (section 85, 86).
9. चोरी की परिभाषा दीजिए। किन परिस्थितियों में चोरी लूट हो जाती है ? क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की सम्पत्ति की चोरी कर सकता है?
Define 'Theft'. Under what circumstances the 'theft' becomes Robbery? Can a man commit theft of his own property?
10. नये प्रकार के अपराधों जैसे आतंकवाद, प्रदूषण एवं अपमिश्रण (मिलावट) पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।
Write a brief essay on new kinds of offences as Terrorism, Pollution and Adultration.